

प्रेषक,

डी०के० कोटिया,

सचिव

उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक

विद्यालयी शिक्षा उत्तरांचल

मयूर विहार देहरादून ।

शिक्षा अनुभाग - 1 (बेसिक)

देहरादून दिनांक 24 जून 2006

विषय-बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक एवं कर्मचारियों के राजकीयकरण के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक- बेसिक-2/9000 / राजकीयकरण / 2006-07 दिनांक 3.6.2006 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि (उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 के भाग-11 प्रवर्ण की धारा 58 में उल्लिखित है कि "इस अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख के ठीक पूर्व कार्यरत बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त शिक्षक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी जिसमें कोई परिवेक्षणीय या निरीक्षणीय अधिकारी एवं कर्मचारी भी है, राज्य सरकार को अन्तरित हो जायेंगे और वे राज्य सरकार के शिक्षक अधिकारी और कर्मचारी हो जायेंगे और उन पर राज्य सरकार द्वारा विहित सेवा शर्तें लागू होंगी) तथा अधिनियम के भाग 1 की धारा 1 (3) में उल्लिखित है कि -- "यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे एवं यह अधिनियम दिनांक 22.4.2006 में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित हो गया है, गजट के प्रकाशित होने की तिथि दिनांक 22.4.2006 से बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी राज्य सरकार के शिक्षक एवं अधिकारी/कर्मचारी हो गये हैं अर्थात् उनकी सेवाओं का राजकीयकरण हो गया है ।

2. कृपया तदनुसार आवश्यक अग्रोत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

ह०/अ०

(डी०के० कोटिया)

प्रेषक,

डी०के० कोटिया,

सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक

विद्यालयी शिक्षा उत्तरांचल

मयूर विहार देहरादून।

शिक्षा अनुभाग -1 (बेसिक)

देहरादून दिनांक 24 जून 2006

विषय- बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक एवं कर्मचारियों के राजकीयकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-बेसिक-2/9000/राजकीयकरण / 2006-07 दिनांक 3.6.2006 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 के भाग-11 प्रकीर्ण की धारा 58 में उल्लिखित है कि इस अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख के ठीक पूर्व कार्यरत बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त शिक्षक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी जिसमें कोई परिवेक्षणीय या निरीक्षणीय अधिकारी एवं कर्मचारी भी है, राज्य सरकार को अंतरिम हो जायेगे और वे राज्य सरकार के शिक्षक अधिकारी और कर्मचारी हो जायेगे और उन पर राज्य सरकार द्वारा विहित सेवा शर्तें लागू होगी" तथा अधिनियम के भाग 1 की धारा 1 (3) में उल्लिखित है कि - " यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे एवं यह अधिनियम दिनांक 22.4.2006 में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित हो गया है, गजट के प्रकाशित होने की तिथि दिनांक 22.4.2006 से बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी राज्य सरकार के शिक्षक एवं अधिकारी/कर्मचारी हो गये है, अर्थात् उनकी सेवाओं का राजकीयकरण हो गया है।

2- कृपया तदनुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय
ह०/अ०
(डी०के० कोटिया)
सचिव।